न्यायालय– श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमांक– 73 **/24** **टीकमगढ़, दिनांक 02.02.2024**

–: विविध संशोधन कार्य विभाजन आदेश :–

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत श्रीमती पलक राय, जेएमएफसी निवाड़ी के मातृत्व अवकाश पर जाने एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस न्यायालय के **कार्य विभाजन आदेश दिनांक 19.07.2023** में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न कंडिकायें संशोधित की जाती है:–

1– कार्य विभाजन आदेश दिनांक **19.07.2023** में सिविल न्यायालय स्थापना निवाड़ी व सिविल न्यायालय स्थापना ओरछा अंतर्गत आने वाले थानों में घटित अपराधों में धारा 164 द.प्र.सं. के कथन के संबंध में पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में संशोधन करते हुये नवीन संशोधन निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	**धारा पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रसं के कथन**	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, सेंदरी, टेहरका, पृथ्वीपुर, ओरछा, जेरोन, सिमरा** द्वारा प्रस्तुत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों में धारा–164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति। (सिविल न्यायालय ओरछा एवं निवाड़ी अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रसं के कथन)
	सुश्री के.शिवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	**महिला संबंधी मामलों के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन**	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, सेंदरी, टेहरका, पृथ्वीपुर, ओरछा, जेरोन, सिमरा** द्वारा प्रस्तुत धारा–164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति। (सिविल न्यायालय निवाड़ी अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के धारा 164 दप्रसं के कथन, **धारा 376 भादवि से संबंधित मामलों के सहित**)
	श्री मनीष छापरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाडी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	**धारा 164 दप्रसं के कथन**	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, सेंदरी, टेहरका, पृथ्वीपुर, ओरछा, जेरोन, सिमरा** द्वारा प्रस्तुत अन्य धाराओं धारा–164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।

नोटः– 1. **धारा 363 भादवि अंतर्गत होने वाले 164 द.प्र.सं. के कथनों को संबंधित थाना क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में सुरक्षित रखा जावेगा तथा पुलिस द्वारा अभियोग पत्र/खारिजी प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय से प्राप्त कर संलग्न किया जावेगा।**

2. **यह विविध संशोधन कार्यविभाजन पत्रक सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटगणों के ई–मेल पर संसूचित किया जा रहा है इसलिए पृथक से प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं है।**

"यह आदेश आज दिनांक 03.02.2024 से तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।"

श्रीमती सपना पोर्ते
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म0प्र0

पृष्ठांकन कमांक– 73 (01-16) /**2024** टीकमगढ़, दिनांक **02.02.2024**

<u>प्रतिलिपः</u>–

1– मान्नीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2– मान्नीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3– मान्नीय जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता) वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

4– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

5– कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले से संबंधित विभागों को सूचित करने हेतु प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।

7– जिला अभियोजन अधिकारी टीकमगढ़ की ओर समस्त अभियोजन अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

8– श्रीमान विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

9– समस्त अपर सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी, सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

10– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म.प्र. की ओर आदेशार्थ प्रेषित।

11– श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित को मेल किये जाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित दिए जाने हेतु।

12– अध्यक्ष अभिभाषक संघ, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा, जिला टीकमगढ़ म.प्र.।

13– <u>डीएसए/सिस्टम ऑफीसर/एसए</u>, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14– केन्द्रीय फाईलिंग काउंटर टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15– प्रस्तुतकार/स्टेनो, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

16– निष्पादन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

श्रीमती सपना पोर्ते
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म0प्र0